□□□□□ □□□□□□

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 22 Nov, 2025

Edition : International	Table of Contents
Page 01 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims**	केंद्र ने चार नए श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया
Page 03 **Syllabus : GS 3 : Internal Security / Prelims**	सरकार ने 250 बंदरगाहों के लिए सुरक्षा नियमों को एकीकृत करने की योजना बनाई है
Page 05 **Syllabus : GS 2 : Governance / Prelims**	ऑनलाइन सामग्री में 'अश्लीलता' को परिभाषित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तावित
Page 08 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	एक बार लाल कार्ड था
Page 10 **Syllabus : GS 2 : Social Justice**	50 पर आईसीडीएस कार्यक्रम: अभी भी एक जीवन रेखा
Page 06 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 2 : International Relations**	भारत के लिए नई दिशा एशिया की ओर होनी चाहिए

Page 01 : GS 3 : Indian Economy / Prelims

केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से सभी चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (OSHWC) संहिता (2020) को अधिसूचित किया है – जो दशकों से निर्मित 29 खंडित श्रम कानूनों की जगह लेने वाले प्रमुख सुधार लाते हैं।

- जबकि केंद्र इस कदम को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता और सरलीकृत अनुपालन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में पेश करता है, ट्रेड यूनियनों ने नियोक्ता समर्थक और श्रमिक-विरोधी के रूप में संहिताओं की आलोचना की है, जिससे आर्थिक प्रतिस्पर्धा के साथ श्रम कल्याण को संतुलित करने पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

Centre notifies four new Labour Codes

- They replace 29 fragmented laws, some dating back to 1930s, and promise gender pay parity
- PM hails Codes as 'comprehensive', while trade unions call them 'pro-employer' and 'anti-worker'
- Contract workers to receive benefits; gig work, platform work, and aggregators are defined

A. M. Jigeesh
Sobhana K. Nair
NEW DELHI

The Centre on Friday notified all four Labour Codes, ushering in major reforms, including extending universal social security coverage for gig workers, promising gender pay parity, expanded rights and safety for women workers, giving statutory backing for minimum wages, and introducing fixed-term employment.

The Code on Wages (2019), Industrial Relations Code (2020), Code on Social Security (2020), and the Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSHWC) Code (2020) had been held back due to protests from trade unions, which continue. In a joint statement, 10 Central Trade Unions called the Codes an "anti-worker and pro-employer" reform. The laws, which came into effect on Friday, replace 29 fragmented laws, many of which date back to pre-Independence and early post-Independence eras (1930s-1950s).

Prime Minister Narendra Modi described these as "one of the most comprehensive and progressive labour-oriented reforms since Independence". He said these laws will serve as a strong foundation for universal social security, minimum and timely payment of wages, safe workplaces, and remunerative opportunities.

"It greatly empowers our workers. It also significantly simplifies compliance and promotes 'Ease of Doing Business'," he said in a post on X.

Union Labour Minister Mansukh Mandaviya said the Codes will formalise employment, strengthen worker protections, and make the labour ecosystem simpler, safer and globally aligned.

He had been in regular touch with State governments, trade unions and employer bodies for the past three years. The Ministry had said that almost all States had published draft rules for the Codes, and the Centre is handholding those States and Union Territories that were yet to frame the rules.

The reforms include expanded rights and safety for women, including night-shift work, free annual health check-ups for workers aged over 40 years, pan-India ESIC coverage including hazardous process units, and a single registration, licence and return system. Additional systemic reforms include a national floor wage, gender-neutral work policy, inspector-cum-facilitator model for supportive compliance, faster dispute resolution through two-member tribunals, and a National Occupational Safety, Health (OSH) Board to harmonise safety standards.

The reforms are aimed at streamlining contractual workers with the provision of "fixed term employees" which entails all benefits equal to those of permanent workers, including leave, medical, and social security. The Codes have defined gig work, platform work, and aggregators for the first time.

Aadhaar-linked Universal Account Number will make welfare benefits easy to access, fully portable, and available across States, regardless of migration. Plantation workers will be brought under the OSHWC Code and the Social Security Code. The government will now initiate consultations to frame detailed rules and schemes.

Consolidated Codes

An overview of the four Codes notified by the Centre and their scope

- **Code on Wages (2019)** unifies four labour laws related to wages and bonuses
- **Industrial Relations Code (2020)** consolidates laws governing trade unions, conditions of employment in industrial establishments, and the settlement of industrial disputes
- **Code on Social Security (2020)** extends social security benefits to all employees and workers, covering both the organised and unorganised sectors
- **Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (2020)** consolidates and modernises 13 existing central labour laws related to workplace safety, health, and working conditions

'Back to exploitation'

On Thursday, the CTUs met Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and urged her not to implement the Codes.

On Friday, 10 unions sent a message that the notification of these codes, amidst deepening unemployment crisis and rising inflation is nothing short of "declaration of war" on the working masses.

"The Union government in cahoots with its capitalist cronies is attempting to take the country back to the exploitative era of master-servant relationship," they said, adding that a series of protests will be launched on November 26 against the Codes. The CTUs had observed a one-day general strike on July 9.

The Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), which welcomed the implementation of the Codes, had been asking the government to remove 'anti-worker' provisions from the Occupational Safety Code and Industrial Relations Code through compulsory consultation with trade unions. The BMS was in support of the Code on Wages (2019) and the Code on Social Security (2020).

CII Director General Chandrajit Banerjee hailed the reforms as a "historic milestone" for India's labour landscape. "The implementation of four Labour Codes marks a transformative leap towards a modern and simplified and future ready labour ecosystem," he said.

मुख्य विश्लेषण

1. संहिताओं के प्रमुख प्रावधान और उद्देश्य

- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा:** गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स - एक तेजी से बड़ा, अनियमित कार्यबल - पहली बार सामाजिक सुरक्षा जाल में एकीकृत हैं।
- **लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा:** समान वेतन का वैधानिक आश्वासन, सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति और लिंग-तटस्थ कार्य नीति।
- **अनुपालन को सरल बनाना:** एकल पंजीकरण, लाइसेंस और वापसी प्रणाली, इंस्पेक्टर-सह-सुविधाकर्ता मॉडल और अखिल भारतीय ईएसआईसी कवरेज का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है।
- **निश्चित अवधि का रोजगार:** संविदात्मक श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के बराबर लाभ प्राप्त होते हैं - छुट्टी, चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सुरक्षा - संभावित रूप से अनौपचारिकता को कम करते हैं।
- **राष्ट्रीय फ्लोर वेज:** पूरे भारत में एक समान वेतन बेंचमार्क प्रदान करता है, जिससे राज्यों को उच्च न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने में सक्षम बनाया जाता है, न कि कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए।
- **व्यावसायिक सुरक्षा संवर्धन:** सुरक्षा मानदंडों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ओएसएच बोर्ड; 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच; ओएसएचडब्ल्यूसी के तहत बागान श्रमिकों को शामिल करना।

कुल मिलाकर, सुधार भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने, औपचारिकता बढ़ाने और वैश्विक प्रथाओं के साथ श्रम मानदंडों को संरेखित करने का प्रयास करते हैं।

2. सरकार का तर्क

- **निवेश और विकास को बढ़ावा देना:** प्रधानमंत्री मोदी ने इन संहिताओं को "ऐतिहासिक" और मेक इन इंडिया, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन का समर्थन करने वाले आधुनिक श्रम वातावरण के लिए आवश्यक बताया।
- **पुराने कानूनों को सरल बनाना:** 1930-50 के दशक के कानूनों को बदलने से विखंडन और कानूनी अस्पष्टता दूर हो जाती है।
- **श्रम मंत्री मंडाविया ने कहा कि** संहिताएं एक सरल, सुरक्षित, औपचारिक और वैश्विक स्तर पर गठबंधन वाले श्रम बाजार को बढ़ावा देंगी।

3. आलोचना और चिंताएँ

ट्रेड यूनियनों का विरोध

- 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने संहिताओं को श्रमिकों पर "युद्ध की घोषणा" करार दिया, इस डर से:
  - नियोक्ता के लचीलेपन में वृद्धि नौकरी की सुरक्षा को कमजोर कर सकती है;
  - श्रम विनियमन में अत्यधिक केंद्रीकरण;
  - औद्योगिक संबंध संहिता के तहत आसान भर्ती और फायरिंग प्रावधान;
  - सामूहिक सौदेबाजी का कमजोर होना।
- सीटीयू का दावा है कि कोड भारत को "मालिक-नौकर संबंधों के युग में वापस ले जाते हैं।
- बेरोजगारी और महंगाई के बीच कार्यान्वयन को रोकने की मांग, राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई।

बीएमएस स्थिति

- भारतीय मजदूर संघ का समर्थन करता है, लेकिन उसने आईआर और ओएसएच संहिताओं में कुछ "मज़दूर-विरोधी" प्रावधानों को हटाने की मांग की है।

4. नियोक्ता और उद्योग परिप्रेक्ष्य

- सीआईआई जैसे उद्योग निकायों ने इस कदम का "ऐतिहासिक मील का पत्थर" के रूप में स्वागत किया है, यह तर्क देते हुए कि यह भविष्य के लिए तैयार श्रम पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, अनुपालन बोझ को कम करता है और निवेश को प्रोत्साहित करता है।

5. कार्यान्वयन चुनौतियाँ

- राज्य स्तर की तत्परता असमान बनी हुई है। जबकि अधिकांश राज्यों ने मसौदा नियम जारी किए हैं, सभी ने नियम तैयार करने का काम पूरा नहीं किया है।
- पोर्टेबिलिटी के लिए आधार से जुड़े यूएएन जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत रोलआउट की आवश्यकता है।
- लचीलेपन और सुरक्षा को संतुलित करना: निश्चित अवधि के रोजगार को सुनिश्चित करना स्थायी नौकरियों की जगह नहीं लेता है जबकि अभी भी निवेशकों को आकर्षित करता है।
- विश्वास का निर्माण: श्रमिकों के डर को परामर्श और संशोधनों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

समाप्ति

चार श्रम संहिताओं की अधिसूचना भारत के श्रम विनियमन में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार का प्रतीक है, जो खंडित कानूनों को एकीकृत करने, औपचारिकता को बढ़ावा देने और नए युग के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने का प्रयास करती है। हालांकि, दृढ़ता से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं - सरकार और उद्योग उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि ट्रेड यूनियन उन्हें मज़दूर-विरोधी के रूप में अस्वीकार करते हैं - श्रम कल्याण और आर्थिक लचीलेपन के बीच तनाव को उजागर करते हैं। संहिताओं की प्रभावशीलता अंततः राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन, निरंतर हितधारक परामर्श और व्यापार करने में आसानी के अभियान के साथ श्रमिकों की सुरक्षा को संतुलित करने की सरकार की क्षमता पर निर्भर करेगी।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हाल ही में लागू की गई चार श्रम संहिताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये संहिताएं 20 से अधिक केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेती हैं।

2. सामाजिक सुरक्षा संहिता में पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं।

3. औद्योगिक संबंध संहिता निश्चित अवधि के रोजगार की अवधारणा का परिचय देती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर : d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वैश्विक निवेश को आकर्षित करते हुए अनौपचारिकता को कम करने के लिए श्रम संहिताओं के तहत निश्चित अवधि के रोजगार प्रावधानों की क्षमता का मूल्यांकन करें। **(150 शब्द)**

Page 03 : GS 3 : Internal Security / Prelims

भारत की समुद्री और तटीय सुरक्षा संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को 250 से अधिक बंदरगाहों के लिए प्रमुख सुरक्षा नियामक के रूप में नामित किया है, जिसमें कार्गो को संभालने वाले निजी बंदरगाह भी शामिल हैं। यह कदम बंदरगाहों में एक समान, संप्रभु सुरक्षा ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है, जिनमें से कई वर्तमान में निजी एजेंसियों या स्थानीय पुलिस पर निर्भर हैं, जिससे असंगत सुरक्षा मानक सामने आते हैं।

Govt. plans to unify security regulations for 250 seaports

A 'sovereign entity' will take over security at private ports; CISF will regulate 80 ports that handle export and import of goods overseeing access control, cargo screening and seafront patrolling

Vijaita Singh
NEW DELHI

To plug the gaps in coastal security, the Union Government has designated the Central Industrial Security Force (CISF) as the security regulator for over 250 seaports in the country, a senior government official said on Friday. The government intends to deploy a "sovereign entity" at private seaports which handle cargo, the official said bringing them under a uniform security architecture.

To begin with, at least 80 seaports that handle export and import of goods will be regulated by the CISF to manage access control, screening of cargo and patrolling of seafront. The seaports, which handle cargo, will see the presence of a "sovereign" security force.

The CISF currently provides security to all 13 major seaports across India.

No uniform template

Presently, there is no uniform security template for seaports and at many places the security arrangements are being handled by private security agencies and local police.

Watchful eye: The Central Industrial Security Force currently secures 13 key ports in India. N. RAJESH

Coastal security is among the topics that will be discussed at the Director Generals of Police conference organised by the Intelligence Bureau next week in Chhattisgarh. Prime Minister Narendra Modi will sit through the presentations made by police officers from across the country.

In 2023, following deliberations at the National Security Strategy Conference, guidelines were issued by the Ministry of Home Affairs to handle seaport security.

On November 18, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways issued an order designating CISF as the Recognised Security Organisation for seaports under the International Ship and Port Facility Security Code.

"Just like the airports, CISF will be the lead agency for seaports. There are various gaps and with careful study and audit, the problem areas will be addressed. While the core functions at 80 airports that handle cargo will be with the CISF, the other 170 seaports will be secured phase-wise," said the official.

According to CISF's estimate, around 800-1,000 personnel are required to be deployed to secure each seaport. The CISF has requested MHA to sanction 10,000 additional personnel for deployment at 80 seaports.

Long way to go

"There is adequate deployment at land borders of the country but when it comes to coastal security we have a long way to go. The areas are open and security architecture is almost absent. Presently, no sovereign entity is there to secure the private sea ports," the official added.

This is an outcome of a Joint Committee of CISF and Director General Shipping, constituted in 2024, which made a comprehensive study of port security, conducted gap analysis and made recommendations on the remedial measures.

Under a hybrid security model, core security functions at all export-import ports will be carried out by CISF and non-core duties may be undertaken by State Police or Private Security Agencies.

मुख्य विश्लेषण

1. सुधार की आवश्यकता: तटीय सुरक्षा में अंतराल

- भारत की लंबी तटरेखा (7,500 किमी से अधिक) ऐतिहासिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र रही है।
- मौजूदा बंदरगाह सुरक्षा खंडित है, निजी सुरक्षा एजेंसियां, बंदरगाह ट्रस्ट और स्थानीय पुलिस एक मानकीकृत प्रोटोकॉल के बिना काम कर रही हैं।
- महत्वपूर्ण निर्यात-आयात कार्गो को संभालने वाले कई बंदरगाहों में "संप्रभु" उपस्थिति का अभाव था, जिससे संभावित सुरक्षा खामियां पैदा हुईं।

2008 के मुंबई हमले, तस्करों द्वारा छोटे जहाजों का उपयोग और अवैध प्रवासन सभी ने मजबूत, समान समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

2. नए सुरक्षा ढांचे की मुख्य विशेषताएं

a. सीआईएसएफ को मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में

- 18 नवंबर को, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सीआईएसएफ को आईएसपीएस (इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी) कोड के तहत मान्यता प्राप्त सुरक्षा निकाय के रूप में नामित किया।
- सीआईएसएफ पहले से ही 13 प्रमुख बंदरगाहों को सुरक्षित कर चुका है और अब पहले चरण में अतिरिक्त 80 निर्यात-आयात बंदरगाहों को कवर करेगा।

जन्म। निजी बंदरगाहों पर एक "संप्रभु इकाई" का निर्माण

- कार्गो को संभालने वाले निजी बंदरगाहों के पास अब केवल कॉर्पोरेट सुरक्षा या निजी गार्ड पर निर्भर रहने के बजाय सीआईएसएफ की उपस्थिति होगी।
- तटस्थता, जवाबदेही और सुरक्षा मानदंडों का समान अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है।

c. सीआईएसएफ को सौंपे गए कार्य

- अभिगम नियंत्रण और परिधि सुरक्षा
- कार्गो स्क्रीनिंग और स्कैनिंग
- समुद्र तट पर गश्त
- सुरक्षा अंतराल और कमजोरियों का ऑडिट

सीआईएसएफ का अनुमान है कि पर्याप्त सुरक्षा के लिए प्रति बंदरगाह 800-1,000 कर्मियों की आवश्यकता होती है। इसलिए, सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय से 10,000 अतिरिक्त कामकों का अनुरोध किया है।

3. हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल

- निर्यात-आयात बंदरगाहों पर: सीआईएसएफ → मुख्य शुल्क
    - राज्य पुलिस + निजी सुरक्षा एजेंसियों → गैर-प्रमुख कर्तव्य
- शेष ~170 बंदरगाहों पर: प्राथमिकता और भेद्यता के आधार पर सुरक्षा को चरणबद्ध तरीके से सीआईएसएफ के तहत लाया जाएगा।

यह मॉडल केंद्रीय बलों पर अधिक बोझ डाले बिना संप्रभु नियंत्रण की अनुमति देता है।

4. सुधार के पीछे संस्थागत प्रयास

- सीआईएसएफ और शिपिंग महानिदेशक (2024) की एक संयुक्त समिति ने एक विस्तृत अंतर विश्लेषण किया और उपायों की सिफारिश की।
- 2023 में, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में विचार-विमर्श के बाद बंदरगाह सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए।
- छत्तीसगढ़ में होने वाले डीजीपी सम्मेलन में तटीय सुरक्षा भी एक प्रमुख एजेंडा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी भाग लेंगे।

5. भारत के लिए रणनीतिक महत्व

- बंदरगाह मात्रा के हिसाब से भारत के व्यापार का 95% संभालते हैं, जिससे वे महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति बन जाते हैं।
- जैसे-जैसे भारत सागरमाला, भारतमाला, ब्लू इकोनॉमी 2.0 और गति शक्ति के माध्यम से अपने समुद्री पदचिह्न का विस्तार कर रहा है, बंदरगाह सुरक्षा एक आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता बन जाती है।
- समान सुरक्षा विनियमन आईएसपीएस संहिता के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

समाप्ति

250 से अधिक बंदरगाहों को सीआईएसएफ की देखरेख में रखने का सरकार का निर्णय भारत के तटीय सुरक्षा ढांचे के एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन का प्रतिनिधित्व करता है। सभी प्रमुख और निजी बंदरगाहों पर एक संप्रभु, समान और पेशेवर रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा बल शुरू करके, सुधार का उद्देश्य विसंगतियों को खत्म करना, कमजोरियों को कम करना और भारत की समुद्री तैयारियों को मजबूत करना है। प्रभावी कार्यान्वयन - जनशक्ति, राज्यों के साथ समन्वय और तकनीकी उन्नयन द्वारा समर्थित - भारत के बढ़ते समुद्री व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

□□□□□ □□□□□□□

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ISPS कोड के तहत भारतीय बंदरगाहों के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (RSO) है।

2. वर्तमान में, सीआईएसएफ भारत में सभी प्रमुख और छोटे बंदरगाहों को सुरक्षा प्रदान करता है।

3. आईएसपीएस कोड अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के तहत एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा ढांचा है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश् न : भारत की तटरेखा एक संवेदनशील सुरक्षा सीमा बनी हुई है। इस संदर्भ में, 250 से अधिक बंदरगाहों के लिए सीआईएसएफ को प्रमुख सुरक्षा नियामक के रूप में नामित करने के सरकार के हालिया फैसले की गंभीरता से जांच करें। **(250 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□□

Page : 05 : GS 2 : Governance / Prelims

ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए स्पष्ट नियम बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ओटीटी सेवाओं और डिजिटल समाचार आउटलेट्स पर लागू "अश्लीलता" की एक स्पष्ट और व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह कदम केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के मानकों को डिजिटल स्पेस में ट्रांसप्लांट करने का प्रयास करता है – एक ऐसा बदलाव जिसने मुक्त भाषण, सेंसरशिप और नियामक अतिरेक पर बहस शुरू कर दी है।

Guidelines defining 'obscenity' in online content proposed

Aroon Deep
NEW DELHI

The Union government has proposed guidelines defining "obscenity" and other disallowed content online in the Information Technology Rules, 2021, which govern social media companies and OTT streaming platforms, in a note for filing in the Supreme Court seen by *The Hindu*.

The proposal includes language that applies to all digital content – social media platforms, OTT streaming services, and digital news platforms – with broad restrictions incorporated from the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

The note was served this week to litigants in an ongoing case by an advocate for the Ministry of Information and Broadcasting, after the Supreme Court urged the government earlier this year to frame guidelines on online content.

The IT Rules already contain language requiring social media platforms to disallow content that "is obscene, pornographic, paedophilic, invasive of another's privacy including bodily privacy, insulting or harassing on the basis of gender, racially or ethnically objectionable, relating or encouraging money laundering or gambling."

Now, the amendment proposed by the Union government – if the Supreme Court approves it – would explicitly define "obscene digital content", and add language to the rules' Code of Ethics that are based on Section 67 of the IT Act, 2000, the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and its rules, and the Indian Penal Code, the precursor to the Bharatiya Nyaya Sanhita. Section 67 of the IT Act would also be the "legal basis" for this amendment, the Ministry said.

"This is exactly the Cable TV Programme Code, copied to the digital medium," Mishi Choudhary, founder of the digital rights advocacy Software Freedom Law Centre, India

The proposal may apply to all digital content on social media websites and OTT platforms.

(SFLC), said after reviewing the note. "This is the most sweeping regulatory shift India has ever proposed for digital content, which had wide restraints previously."

A senior official told *The Hindu* that the proposal would only be taken forward after the court comments on it, and following a public consultation.

Cinematograph Act

For OTT streaming platforms at least, the proposal would require content to be compliant with the Cinematograph Act, 1952 and be fit for "public exhibition". The official said that this particular condition would only be applicable to streaming services and not social media. The proposed amendment does not contain this demarcation.

The Code of Ethics, which is a part of the IT Rules that has been governing news platforms and "curated" content platforms like Netflix and Amazon Prime Video, would have an overarching "Obscenity" heading that would tell online platforms to avoid content that offends "good taste or decency", presents "criminality as desirable", shows "indecent, vulgar, suggestive, repulsive or offensive themes", or has "visuals or words which reflect a slandering, ironical and snobbish attitude in the portrayal of certain ethnic, linguistic and regional groups". There are seventeen such restrictions.

Rules 9(1) and 9(3) of the IT Rules, which seek to enforce the existing code of ethics for streaming services and news platforms, have been stayed by the Bombay High Court, in a case that is now being heard in the Delhi High Court, along with other challenges to the IT Rules. The note by the Information and Broadcasting Ministry acknowledges that this judicial stay is still active. Ms. Choudhary said the note sought to "revive" the stayed rules.

"The Executive has been irregularly using IT Rules to broaden its powers and establishing a *de facto* system, which, if the courts heard the petitions, would be found unconstitutional," Ms. Choudhary said. "Just because the courts are not swift in their decision-making does not mean this structure is acceptable."

"In order to ascertain whether a content has violated the Code or not, the 'Community Standard Test' prescribed by the Hon'ble Supreme Court in the case of *Aveek Sarkar v. State of West Bengal* may be used," the proposal says in an explanation, "which states that the content satisfies the test if a person, having contemporary community standards does not believe that the work appeals or pleases to the lustful or voyeuristic interest and this Code shall not be applicable to content which has literary, scientific, artistic or political value in its entirety."

In spite of this explanation, Ms. Choudhary said, the note "expands the definition to include everything under the sun, from Rule 6 of Cable Television Networks (Regulation) Act to all that the government disapproves of".

The proposal came in a case that followed the controversy around comedian Samay Raina, whose YouTube channel was the subject of intense backlash after a joke featuring an incestuous hypothetical dilemma in a paywalled part of Mr. Raina's channel, made by the social media influencer Ranveer Allahabadia, went viral.

मुख्य विश्लेषण

1. पृष्ठभूमि: अब नए दिशानिर्देश क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सरकार से बढ़ती शिकायतों और कानूनी अस्पष्टताओं के कारण डिजिटल वातावरण के लिए अश्लीलता को परिभाषित करने का आग्रह किया है।
- ऑनलाइन कॉमेडियन और ओटीटी सामग्री से जुड़े विवादों ने स्पष्टता की मांग को तेज कर दिया है।
- आईटी नियम, 2021 पहले से ही ऐसी सामग्री को प्रतिबंधित करते हैं जो अश्लील, अश्लील, पीडोफिलिक या गोपनीयता के आक्रामक है – लेकिन विशिष्ट परिभाषाओं का अभाव है।

सरकार ने अब एक चल रहे मामले में संशोधन का मसौदा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है।

2. प्रस्तावित संशोधन में क्या शामिल है

a. अश्लील डिजिटल सामग्री की स्पष्ट परिभाषा

- आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67, केबल टीवी अधिनियम, 1995 और आईपीसी (अब बीएनएस) पर आधारित है।
- 17 व्यापक प्रतिबंध पेश करता है, जिसमें सामग्री भी शामिल है:
    - "अच्छे स्वाद या शालीनता का अपमान करता है"
    - "वांछनीय के रूप में आपराधिकता" को चित्रित करता है
    - "अभद्र, अश्लील, विचारोत्तेजक, प्रतिकारक या आक्रामक" विषयों को दर्शाता है
    - इसमें जातीय या क्षेत्रीय समूहों के प्रति "दंभ या निंदनीय रवैये" को दर्शाने वाले दृश्य या शब्द शामिल हैं
    - "आपत्तिजनक यौन सामग्री" शामिल है

डिजिटल अधिकार अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह शब्द अस्पष्ट, व्यापक और संभावित रूप से अतिव्यापी है।

बी. डिजिटल इकोसिस्टम में प्रयोज्यता

प्रस्ताव में सभी डिजिटल सामग्री शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
- ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाएं
- डिजिटल समाचार प्रकाशन

विशेष रूप से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए:

- सामग्री को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 का पालन करना चाहिए और "सार्वजनिक प्रदर्शनी" के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- अधिकारियों का कहना है कि यह केवल स्ट्रीमिंग सेवाओं पर लागू होता है, लेकिन प्रस्ताव स्पष्ट रूप से इस अलगाव को निर्दिष्ट नहीं करता है, जिससे एकीकृत - और सख्त - सेंसरशिप मानदंडों की आशंका पैदा होती है।

c. केबल टीवी प्रोग्राम कोड से उधार लेना

जैसा कि डिजिटल अधिकार समूहों द्वारा उल्लेख किया गया है:

- यह प्रस्ताव अनिवार्य रूप से केबल टीवी प्रोग्राम कोड है जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपी किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिबंध रहे हैं।
- यह भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा नियामक बदलाव है, जो रचनात्मक सामग्री के लिए जगह को कम करता है।

3. कानूनी मुद्दे और चल रही चुनौतियाँ

- आईटी नियमों (आचार संहिता से संबंधित) के नियम 9 (1) और 9 (3) पर वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है, और दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले चल रहे हैं।
- आलोचकों का तर्क है कि सरकार नए संशोधनों के माध्यम से आचार संहिता का विस्तार करके निलंबित नियमों को पुनर्जीवित करने या बायपास करने का प्रयास कर रही है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रोक को स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, जो कार्यकारी अतिरेक के मुद्दे उठा सकता है।

4. सर्वोच्च न्यायालय का मानक: सामुदायिक मानक परीक्षण

प्रस्ताव में अवीक सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य, जो:

- एक समकालीन सामुदायिक मानक परीक्षण का उपयोग करता है, न कि पुराने "हिकलिन टेस्ट" का।
- उन्होंने कहा कि सामग्री केवल तभी अश्लील होती है जब वह वासनापूर्ण या विवेकपूर्ण हितों को आकर्षित करती है, न कि यदि इसका कलात्मक, राजनीतिक, वैज्ञानिक या साहित्यिक मूल्य है।

हालांकि, कार्यकर्ताओं का तर्क है:

- इस सुरक्षा उपाय के साथ भी, संहिता की व्यापक भाषा सरकार को सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए व्यापक विवेक देती है।

5. डिजिटल अधिकार समूहों की आलोचना

मिशी चौधरी (एसएफएलसी) जैसे विशेषज्ञों का तर्क है:

- यह प्रस्ताव डिजिटल सामग्री पर राज्य नियंत्रण के "अभूतपूर्व विस्तार" का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह ऑनलाइन क्षेत्र में व्यक्तिपरक नैतिकता-आधारित प्रतिबंध लाता है।
- सरकार संवैधानिक चुनौतियों का जोखिम उठाते हुए विधायी अनुमोदन के बिना अपनी शक्तियों को व्यापक बनाने के साधन के रूप में आईटी नियमों का उपयोग कर रही है।

उनका तर्क है कि प्रस्ताव:

- रचनाकारों द्वारा आत्म-सेंसरशिप का कारण बन सकता है
- एक बढ़ती डिजिटल रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करता है
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कार्यपालिका को अत्यधिक प्रभाव देता है

6. मामले के लिए ट्रिगर

- यह प्रस्ताव कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब कंटेंट से जुड़े एक मामले में सामने आया, जहां एक चुटकुले ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया।
- सरकार ने अदालत और सार्वजनिक शिकायतों के दबाव में इस अवसर का उपयोग व्यापक नियामक ओवरहाल का प्रस्ताव करने के लिए किया।

समाप्ति

आईटी नियमों के तहत ऑनलाइन सामग्री में "अश्लीलता" को परिभाषित करने का सरकार का प्रस्ताव भारत के डिजिटल विनियमन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जबकि यह कदम स्पष्टता के लिए न्यायिक मांगों का जवाब देता है और इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को हानिकारक

सामग्री से बचाना है, व्यापक दायरा, नैतिक भाषा और केबल टीवी नियंत्रणों से समानता संभावित सेंसरशिप और कार्यकारी अतिरेक के बारे में चिंता पैदा करती है। दिशानिर्देशों का अंतिम आकार सर्वोच्च न्यायालय की जांच, सार्वजनिक परामर्श और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर निर्भर करेगा, जिससे यह भारत के डिजिटल अधिकारों और सामग्री शासन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण बन जाएगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रस्तावित दिशानिर्देश केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 से भाषा का उपयोग करके "अश्लील डिजिटल सामग्री" को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं।

2. दिशानिर्देश केवल ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे, न कि सोशल मीडिया या डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर।

3. आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67 को प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए कानूनी आधार के रूप में उद्धृत किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर: b)

□□□□□ □□□□□□□

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट के "सामुदायिक मानक परीक्षण" और डिजिटल अधिकार समूहों द्वारा उठाई गई चिंताओं के संदर्भ में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में अश्लीलता और हानिकारक सामग्री को विनियमित करने की चुनौतियों का गंभीर विश्लेषण करें। **(150 शब्द)**

Page 08 : GS 2 : Indian Polity

2008 में, केंद्र सरकार ने बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) का संचालन किया, इसे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 12.88 लाख निवासियों को जारी किया, जिसमें बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल थे। पहचान के प्रमाण और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की दिशा में एक कदम के रूप में मंचन बनाए गए एमएनआईसी को बाद में आधार कार्ड से प्रभावित किया गया। पायलट नागरिकता सत्यापन, पहचान दस्तावेज और शासन में राष्ट्रीय डेटाबेस की भूमिका के बारे में भारत में लगातार बहस पर प्रकाश डालता है। यह सरकार द्वारा जारी पहचान और निवास और नागरिकता सत्यापन के लिए विकसित नीति परिदृश्य के साथ सार्वजनिक अनुभवों को भी दर्शाता है।

Once there was a red card

मुख्य विश्लेषण

1. एमएनआईसी पायलट के उद्देश्य

- पहचान और नागरिकता का प्रमाण: MNIC में निवासियों की विशिष्ट पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा (उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन) और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल थे।
- संभावित लाभ: इसकी परिकल्पना पीने योग्य पानी जैसी नागरिक सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी/एनआरसी) के लिए एक मूलभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।
- पायलट रीच: पूथ खुर्द गांव की मिश्रो देवी सहित 12.88 लाख व्यक्तियों को जारी किया गया, जो भारत में बायोमेट्रिक-आधारित नागरिक पंजीकरण के पहले प्रयास को दर्शाता है।

2. एमएनआईसी बनाम आधार

- आधार में परिवर्तन: सरकार ने अंततः MNIC पर आधार को प्राथमिकता दी। दोहराव से बचने के लिए एमएनआईसी पायलट से बायोमेट्रिक डेटा को आधार में जोड़ा गया था।
- प्रभावकारिता: आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में पहचाना जाता है, नागरिकता के रूप में नहीं। नागरिकता सत्यापन के लिए MNIC का इच्छित उपयोग अवास्तविक रहा।
- सार्वजनिक धारणा: कई प्राप्तकर्ताओं ने कभी भी MNIC का उपयोग नहीं किया, और कुछ (जैसे राजबीर डबास) को सीमित व्यक्तिगत लाभ मिले, जैसे कि टोल करों से बचना।

3. नागरिकता, एनपीआर और मतदाता सूची

- कानूनी ढांचा: भारत में नागरिकता नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण या क्षेत्र के निगमन के माध्यम से शासित होती है। वर्तमान में कोई भी केंद्रीकृत दस्तावेज़ नागरिकता की पुष्टि नहीं करता है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर): एनआरसी को संकलित करने के लिए घर-वार एकत्र किए गए एनपीआर डेटा का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को गैर-नागरिकों से अलग करना है।
- विशेष गहन संशोधन (एसआईआर): बिहार और अन्य राज्यों में आयोजित किया जाता है, जिसमें मतदाता पंजीकरण के लिए वैध दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। शुरुआत में आधार को बाहर रखा गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया।
- CAA और NRC Debate: 2019 CAA के लागू होने के बाद, यह डर पैदा हो गया कि NRC मुसलमानों को असमान रूप से प्रभावित करेगा, जबकि गैर-मुस्लिम CAA प्रावधानों के तहत नागरिकता का दावा कर सकते हैं. असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एनआरसी पूरी हो गई है, जिसमें 19 लाख निवासी शामिल नहीं हैं।

4. एमएनआईसी अनुभव से सबक

- नीति निरंतरता और सार्वजनिक विश्वास: MNIC पहचान योजनाओं को शुरू करने में चुनौतियों और उनके उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में सार्वजनिक स्पष्टता के महत्व को प्रदर्शित करता है।
- कार्यान्वयन अंतराल: नागरिकों को कार्ड प्राप्त हुए लेकिन उपयोग पर स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव था। समय के साथ, एमएनआईसी ने आधार के पक्ष में प्रासंगिकता खो दी।
- डिजिटल डेटा प्रबंधन: आधार के साथ बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय एकीकरण नागरिक डेटा को केंद्रीकृत करने की क्षमता और जोखिमों पर प्रकाश डालता है।

5. सार्वजनिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य

- निवासियों का अनुभव: कई लोगों ने एमएनआईसी को एक स्मारिका के रूप में संरक्षित किया; इसके इच्छित कार्य व्यावहारिक के बजाय काफी हद तक प्रतीकात्मक थे।

- सरकार का दृष्टिकोण: MNIC एक एकीकृत नागरिक पंजीकरण प्रणाली बनाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा था, जो शासन, सुरक्षा और सेवा वितरण में सहायता करता था।

- चुनौतियाँ: भविष्य की राष्ट्रीय आईडी पहलों में गोपनीयता, पहचान सत्यापन और सार्वजनिक स्वीकृति को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

समाप्ति

2008 में एमएनआईसी पायलट बायोमेट्रिक-आधारित नागरिक पंजीकरण में एक प्रारंभिक प्रयोग था, जिसका उद्देश्य पहचान का प्रमाण प्रदान करना और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के लिए आधार तैयार करना था। हालांकि आधार द्वारा छायांकित किया गया है, यह नागरिकता का दस्तावेजीकरण, जनसांख्यिकीय डेटाबेस का प्रबंधन करने और कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करने में भारत की चल रही चुनौतियों को दर्शाता है। एनपीआर, एनआरसी और मतदाता सूची के एसआईआर के आसपास की बहस भारत में राष्ट्रीय पहचान की संवेदनशीलता और राजनीतिक जटिलता को उजागर करती है, बड़े पैमाने पर पहचान पहलों को लागू करने में पारदर्शिता, जनता के विश्वास और मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर देती है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (MNIC) पायलट और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के आसपास चल रही बहस भारत में नागरिकता दस्तावेज की जटिलताओं को उजागर करती है। भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने में चुनौतियों की गंभीर रूप से जांच करें। ऐसी पहलों में पारदर्शिता, समावेशिता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएं। **(250 शब्द)**

Page 10 : GS 2 : Social Justice / Prelims

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम - 1975 में टी. नरसीपुर, कर्नाटक में शुरू किया गया - 50 साल पूरे कर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय-आधारित प्रारंभिक बचपन देखभाल कार्यक्रम है, जो छह साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और समाजीकरण प्रदान करता है। कर्नाटक, आईसीडीएस का विस्तार करने वाले शुरुआती राज्यों में से एक है, जो लगातार चुनौतियों के साथ मिश्रित सफलता की राष्ट्रीय तस्वीर को दर्शाता है।

ICDS programme at 50: Still a lifeline

Since it was launched as a pilot project at T. Narsipur in Mysuru district in 1975, the Integrated Child Development Services programme has expanded in reach and scope across Karnataka; but the crucial scheme for early childhood development faces several challenges, especially of fund crunch, finds Shilpa Elizabeth

मुख्य विश्लेषण

□□□□□ □□□□□□□

1. आईसीडीएस की उपलब्धियां (एक केस स्टडी के रूप में कर्नाटक के साथ)

1.1 व्यापक विस्तार और पहुंच

- 1 पायलट प्रोजेक्ट (1975) से कर्नाटक में लगभग 70,000 आंगनवाड़ियों →; राष्ट्रव्यापी लाभार्थी: 9+ करोड़ बच्चे और माताएं (2021)।
- पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पूर्व-विद्यालय शिक्षा और माता-पिता के जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करता है।

1.2 शिक्षा और समाजीकरण में योगदान

- आंगनवाड़ी लाखों बच्चों के लिए सीखने की पहली जगह के रूप में कार्य करती है।
- कर्नाटक ने द्विभाषी शिक्षा, गतिविधि पुस्तकें, वर्दी, स्कूल की तैयारी → 250 केंद्रों को सरकारी मॉन्टेसरी (2024) में परिवर्तित किया।
- साप्ताहिक संरचित शिक्षण-अधिगम योजनाएं (टीएलएम) लागू की गईं।

1.3 पोषण और स्वास्थ्य लाभ

- पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) रीढ़ की हड्डी बना हुआ है।
- ~ 95% पंजीकृत बच्चे एसएनपी तक पहुंचते हैं।
- यादगीर, रायचूर, कलबुर्गी आदि जैसे संवेदनशील जिलों में एसएएम/एमएएम का मुकाबला करने के लिए चिगुरु कार्यक्रम (कर्नाटक) के अंतर्गत एक अभियान शुरू किया गया है।
- मातृपूर्णा (गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए गर्म पका हुआ भोजन) जैसी विशेष योजनाएं।

1.4 महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रभाव

- आंगनवाड़ियां 6.5 घंटे खुली रहती हैं, जो आंशिक डे-केयर के रूप में कार्य करती हैं → महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी को सक्षम बनाती हैं।
- कार्यकर्ता मानदेय, प्रशिक्षण (जहां उपलब्ध हो), और स्थानीय भर्ती ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है।

2. कर्नाटक के आईसीडीएस मॉडल में अद्वितीय नवाचार

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए चिलीपिली पाठ्यक्रम।
- 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कूसिनमाने शिशुगृह (4,000 केंद्र), जिन्हें मनरेगा श्रमिकों से जोड़ा गया है।

- कई आंगनवाड़ी केंद्रों में औसत से बेहतर बुनियादी ढांचा (रसोईघर, शौचालय, बिजली)।

3. आईसीडीएस के सामने चुनौतियाँ

3.1 फंडिंग में कटौती

- केंद्र-राज्य अनुपात 90:10 से घटकर 60:40 (2015) → गया।
- केंद्रीय निधियों की कमी के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।
- राज्य अक्सर क्षमता निर्माण के लिए गैर सरकारी संगठनों पर निर्भर रहता है।

3.2 अपर्याप्त श्रमिक मुआवजा

- श्रमिकों को ₹11,000/माह मिलते हैं, सहायकों को और भी कम।
- भुगतान अनियमित; स्थायी स्थिति और न्यूनतम मजदूरी की मांग।
- केंद्र का योगदान 7 साल से रुका हुआ है।

3.3 बुनियादी ढांचे की कमी

- कई केंद्रों में जगह, बिजली, सुरक्षित इमारतों की कमी है।
- उदाहरण: डोमलूर में नवनिर्मित AWC बिजली कनेक्शन की कमी और असुरक्षित वायरिंग के कारण अप्रयुक्त है।
- आंगनवाड़ियों में <3 वर्ष के बच्चों के लिए एकीकृत शिशुगृहों की आवश्यकता।

3.4 प्रौद्योगिकी के कारण बहिष्करण

- चेहरे की पहचान आधारित लाभार्थी सत्यापन में ~2% लाभार्थियों (≈ 5 लाख लोग) शामिल नहीं हैं।

3.5 लगातार कुपोषण

- **कर्नाटक में:**
  - 12.4% बच्चे गंभीर रूप से अविकसित
  - 4.6% गंभीर रूप से बर्बाद
- **कुपोषण आज न केवल गरीबी से प्रेरित है, बल्कि:**
  - माता-पिता की जागरूकता की कमी,

- कम उम्र में शादी,
- पिछड़े क्षेत्रों में अंतर-पीढ़ीगत गरीबी।

4. 50 पर आईसीडीएस - उभर रहे प्रमुख विषय

4.1 केवल पोषण से समग्र ईसीडी में बदलाव

माता-पिता अब दोनों चाहते हैं:

- अच्छा पोषण, और
- अच्छी प्रारंभिक शिक्षा

इसलिए, आंगनवाड़ी केवल भोजन वितरण के बजाय समग्र प्रारंभिक बचपन विकास (ईसीडी) की ओर बढ़ रही हैं।

4.2 एनईपी 2020 के साथ एकीकरण

- एनईपी में इस बात पर जोर दिया गया है कि बुनियादी चरण (0-6 वर्ष) → आंगनवाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया जाना चाहिए।

4.3 कल्याण बनाम अधिकारों की बहस

कार्यकर्ताओं का तर्क है कि:

- आईसीडीएस को अभी भी एक कल्याणकारी योजना के रूप में माना जाता है, न कि कानूनी अधिकार के रूप में।
- पोषण, स्वास्थ्य और प्री-स्कूल शिक्षा को न्यायोचित अधिकार बनाया जाना चाहिए।

समाप्ति

50 वर्षों के बाद, आईसीडीएस भारत के सबसे गरीब बच्चों के लिए एक जीवन रेखा बना हुआ है, जो आवश्यक पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। कर्नाटक प्रभावशाली नवाचारों को दिखाता है, फिर भी कार्यक्रम को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है – धन की कमी, कम मानदेय, बुनियादी ढांचे की कमी और डिजिटल बहिष्कार। आईसीडीएस को कुपोषण और गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने के अपने मूलभूत लक्ष्य को पूरा करने के लिए, भारत को अधिक वित्तपोषण, कानूनी गारंटी, कार्यबल समर्थन और नए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) ढांचे के साथ एकीकरण की आवश्यकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: ICDS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आईसीडीएस को 1975 में कर्नाटक के टी. नरसीपुर में एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था।

2. आईसीडीएस प्रारंभिक बचपन के विकास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय-आधारित कार्यक्रम है।

3. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आईसीडीएस को मिड-डे मील योजना में मिला दिया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर : d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: 50 वर्षों के बाद भी, आईसीडीएस एक अधिकार-आधारित पात्रता के बजाय एक कल्याणकारी योजना बना हुआ है। फंडिंग में कटौती, बुनियादी ढांचे के अंतर और श्रमिक मुआवजे के मुद्दों जैसी चल रही चुनौतियों के संदर्भ में गंभीर रूप से जांच करें। **(150 शब्द)**

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Page : 06 Editorial Analysis

The new direction for India should be toward Asia

The photograph of Russian President Vladimir Putin, Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping in an animated conversation at the 2025 Tianjin Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in early September this year exhibited elements unifying them, which has been the hallmark of meetings of the G-7. Just a month later, at the Busan Summit 2025, the photograph of U.S. President Donald Trump, who looked uneasy, and Mr. Xi, who looked calm, at the "G2" summit, acknowledges the power shift to Asia.

The U.S. Secretary of State told the Senate that the story of the 21st century will be written in Asia. The global trend was then obscured by now U.S. Ambassador to India Sergio Gor laying out the U.S.'s priorities: 'pull India' to its side away from China and get India to stop buying cheap Russian oil. Mr. Modi later made clear that India's future cannot be dictated by others.

Mukul Sanwal

is a former United Nations diplomat

A critical moment for foreign policy

India's foreign policy is at an inflexion point as it is on the cusp of becoming one of the largest economies, and the U.S. is upending multilateralism and reducing India's strategic policy space in several key domains as India's relations with China improve and those with Russia strengthen. Is the U.S. thwarting India's rise to prevent another China? With China, it should be a case of 'trust but verify' as negotiations for an international border in Ladakh advance with it having the potential to settle the Kashmir issue and investment that may follow. Russia is a 75-year-old tested partner and its S-400 was the game-changer in 'Operation Sindoor'.

For India, the choice is not binary, as western analysts argue, tilting towards the U.S. or China. The new direction for India should be toward Asia, whose market will be larger than the U.S.

Asia is coming together in a form very different to the way the West came together, not based on colonialism or global rules but shared value chain interests. Countries in the region want partnership with India, as it has the technological capacity and economic heft to balance China.

Asia, with two-thirds of the global population and wealth, is again at the centre of the world. BRICS, with overlapping membership and policies, the SCO, with its stress on geo-security-economics, and the Association of Southeast Asian Nations, a political-trade grouping, are going to be intertwined. The door to re-entry into the Regional Comprehensive Economic Partnership is still open. This is where trade concessions should be made, which will be outside World Trade Organization rules, including modus vivendi on trade with China, as an alternative market to the U.S.

> Asia is at the centre of the world and India should focus on self-sustaining growth

Hard decisions

India has moved away from the hesitations of a developing country, ring-fencing its growth, to an emerging power, confidently engaging others as a peer. U.S. pressure has led to a new national consensus on acceptability of hard decisions.

First, operationalisation of 'strategic autonomy' should be based on India's uniqueness having two global agendas. It has the highest growth rate, huge potential till 2100, the largest labour pool and the highest number of the poor. Within the United Nations, India's foundational sustainable development interests are closer to the Global South. India will need to clarify its understanding of 'partnership' linking value chains and adjusting priorities without diluting them to avoid accepting the agendas and frameworks of others.

Second, the new rules will be very different to the old ones. Asia had no answer to Europe's gunboats and later leverage, and interdependence gave immense advantage to the West. Interconnectedness of the digital economy is reflected in technological capacity, not diplomacy, leading to military capability. Assumptions of foreign, technology and security policies are being questioned as innovation interconnections determine economic growth, political influence and military strength. For India, there can be no compromise on national data, endogenous technology innovation, local defence production and inclusive growth.

Third, cyber warfare should be the central pillar of national security, based on India's comparative advantage, and not theatre commands as land-based threats have changed. China has stepped back from the China-Pakistan Economic Corridor which Pakistan has substituted with expensive Asian Development Bank loans. It has strategic support from the U..S, a mutual defence pact with Saudi Arabia and increased influence, along with the U.S., in Bangladesh. The U.S. is seeking the Bagram base in Afghanistan. India has also secured a six-month waiver from U.S. sanctions on Chabahar Port which gave India an opening into Iran, Afghanistan, Central Asia and Russia.

The evolving neighbourhood landscape suggests the need for a national debate on reorienting defence allocations – halving the size of the Army and reducing numbers of large (imported) platforms for endogenous Artificial Intelligence (AI), air defence, space, missiles and drones where India has world-class capability – to factor in the need for continuing innovation, with spin-offs for growth.

An AI future

Lastly, shaping the global AI future is necessary for double-digit inclusive growth. Bernstein, a wealth management firm, in a report has asked questions about India's ₹10,372-crore AI mission, warning that it could become inconsequential on the global stage. It also said that U.S. companies could dominate AI. A Parliamentary Standing Committee has emphasised the need for indigenous research in foundational AI models to ensure sovereign capability. Funding should increase at least 20-fold to support national strategic collaboration, high-end computational resources, proprietary models and talent development driven by the Prime Minister's Office. AI sovereignty is now the key requirement to be a global power by 2047.

GS. Paper 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question : भारत की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति में एससीओ, ब्रिक्स और आसियान जैसे क्षेत्रीय मंचों की भूमिका का मूल्यांकन करें। **(250 शब्द)**

संदर्भ:

भारत अपनी विदेश नीति और वैश्विक स्थिति में एक महत्वपूर्ण क्षण में खड़ा है। जैसे-जैसे 21वीं सदी एशिया की ओर बढ़ रही है, अमेरिका, चीन और क्षेत्रीय साझेदारी के बीच भारत के रणनीतिक विकल्प इसके आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा प्रक्षेपवक्र को परिभाषित करेंगे। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन और बुसान में "जी2" बैठक सहित हाल ही में राजनयिक बातचीत, एशिया की ओर एक भू-राजनीतिक शक्ति बदलाव को रेखांकित करती है। रूसी तेल आयात और बहुपक्षवाद जैसे मुद्दों पर अमेरिकी दबाव के बीच, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दे रहा है, एशिया-केंद्रित विकास, नवाचार और सुरक्षा अनिवार्यताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीन, रूस और पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित कर रहा है।

मुख्य विश्लेषण

1. भू-राजनीतिक संदर्भ

- एससीओ और जी2 शिखर सम्मेलनों के फोटोग्राफिक साक्ष्य एशिया के बढ़ते प्रभाव और एक आत्मविश्वासी, बहुध्रुवीय एशिया के साथ जुड़ने में अमेरिका की सापेक्ष असुविधा को दर्शाते हैं।
- भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो एक संभावित वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ मेल खा रही है।
- भारत को चीन से दूर करने और रूस के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करने के अमेरिकी प्रयास रणनीतिक नीति के दायरे को कम करने का संकेत देते हैं, जो भारत को एक स्वतंत्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए चुनौती देते हैं।

2. रणनीतिक स्वायत्तता और एशियाई जुड़ाव

- भारत का दृष्टिकोण द्विआधारी नहीं होना चाहिए (अमेरिका बनाम चीन); क्षेत्रीय और आर्थिक प्राथमिकता के रूप में एशिया की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- एशिया के लाभ:
  - वैश्विक आबादी और धन का दो-तिहाई हिस्सा एशिया में रहता है।
  - ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय सहयोग मंच जैसे ब्रिक्स, एससीओ, आसियान और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) व्यापार, निवेश और भू-आर्थिक उत्तोलन के लिए अवसर प्रदान करते हैं।
  - औपनिवेशिक या नियम-आधारित एकीकरण के बजाय साझा मूल्य श्रृंखलाएं, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं।
- भारत चीन को संतुलित करने और एशियाई आर्थिक और रणनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमता, आर्थिक ऊंचाई और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है।

3. आर्थिक और तकनीकी अनिवार्यताएँ

- **विकास में रणनीतिक स्वायत्तता:**
  - भारत के विकास पथ में घरेलू क्षमताओं, प्रौद्योगिकी नवाचार और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने, बाहरी ढांचे पर अधिक निर्भरता से बचने की मांग की गई है।
  - क्षेत्रीय भागीदारों के साथ मूल्य श्रृंखलाओं को जोड़ना भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए, न कि विदेशी एजेंडे द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

- **एआई और डिजिटल अर्थव्यवस्था:**
    - भारत का AI मिशन (₹10,372 करोड़) संप्रभु तकनीकी क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
    - भविष्य के आर्थिक, सैन्य और राजनयिक प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए मूलभूत एआई, कम्प्यूटेशनल बुनियादी ढांचे और प्रतिभा विकास में निवेश आवश्यक है।
    - स्वदेशी एआई विकास यह सुनिश्चित करता है कि भारत वैश्विक तकनीकी दौड़ में संप्रभुता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखे।

4. **रक्षा और सुरक्षा पुनर्गठन**

- **साइबर सुरक्षा फोकस:**
    - भूमि-आधारित सैन्य खतरे विकसित हो रहे हैं; साइबर युद्ध, एआई-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म और अंतरिक्ष क्षमताएं राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्रीय स्तंभों के रूप में उभर रही हैं।
- **रक्षा आधुनिकीकरण:**
    - रणनीतिक पुनर्विन्यास पारंपरिक सेना के आकार और बड़े आयातित प्लेटफार्मों को कम करने, अंतर्जात एआई, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की ओर संसाधनों को फिर से आवंटित करने का आह्वान करता है।
    - अंतर्जात नवाचार संभावित वाणिज्यिक और नागरिक स्पिन-ऑफ के साथ भारत की आत्मनिर्भरता, निवारण और दीर्घकालिक विकास को मजबूत करता है।
- **पड़ोस की गतिशीलता:**
    - क्षेत्रीय घटनाक्रम (सीपीईसी से पीछे हटना, अमेरिका-पाकिस्तान रक्षा समझौते, चाबहार बंदरगाह तक भारत की पहुंच) लचीली, दूरंदेशी रणनीतिक योजना की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

5. **विदेश नीति संबंधी विचार**

- भारत की विदेश नीति को क्षेत्रीय एकीकरण के साथ विकास, सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का सामंजस्य बिठाना चाहिए:
    - चीन के साथ निरंतर जुड़ाव, सीमा मुद्दों और संभावित कश्मीर बस्तियों पर कूटनीति पर "विश्वास लेकिन सत्यापन" के साथ।
    - रूस के साथ संबंधों को मजबूत करना, जो एक लंबे समय से रणनीतिक साझेदार है, विशेष रूप से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में।
    - अमेरिका के साथ व्यावहारिक बातचीत, यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय हित बाहरी एजेंडे के अधीन नहीं हैं।
- व्यापक सिद्धांत एक सहकर्मी से सहकर्मी दृष्टिकोण है, जो वैश्विक शक्ति संघर्षों में एक कनिष्ठ भागीदार के बजाय एक उभरती हुई एशियाई शक्ति के रूप में भारत की स्थिति पर जोर देता है।

समाप्ति

भारत की वैश्विक रणनीति को रणनीतिक स्वायत्तता का दावा करने के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभ, आर्थिक क्षमता और तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाते हुए निर्णायक रूप से एशिया की ओर बढ़ना चाहिए। चीन, रूस और अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करना,

अंतर्जात नवाचार, एआई और साइबर क्षमताओं में निवेश करना और रक्षा और आर्थिक नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना महत्वपूर्ण है। एशिया-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाकर, भारत 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका सुरक्षित कर सकता है, समावेशी विकास हासिल कर सकता है और बाहरी शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए अपनी संप्रभु रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ा सकता है।